क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-37, अंक – 2 | जनवरी 16-31, 2023 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-8

वर्ष 2022 में देशभर में मज़दूरों और किसानों का संघर्ष :

अधिकारों पर हो रहे हमलों के ख़िलाफ़ संघर्ष में मज़दूरों और किसानों की बढ़ती एकता

पिछले साल 2022 में निजीकरण के समाज–विरोधी और मज़दूर–विरोधी कार्यक्रम के ख़िलाफ़ अनेक क्षेत्रों के मज़दूर सड़कों पर पूरे साल संघर्ष में दिखाई दिए। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों के मज़दूरों का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियनें एक सांझे मंच पर एक साथ आ रही हैं और निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष में एक–दूसरे को समर्थन दे रही हैं। 12 जून को महाराष्ट्र के पुणे में बिजली, बैंक और रेलवे के मज़दूरों तथा शिक्षकों और अन्य क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं एवं जन संगठनों की एक संयुक्त मीटिंग हुई। जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी प्रकार के निजीकरण के ख़िलाफ़ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जायेगी।

बीमा, बैंक, रेलवे, बिजली आपूर्ति, सड़क परिवहन, एयरलाइंस, दूरसंचार और कोयला तथा इस्पात संयंत्र के मज़दूरों, सफ़ाई मज़दूरों, स्वास्थ्य सेवा के मज़दूरों, शिक्षा क्षेत्र के मज़दूरों, आशा व आंगनवाड़ी मज़दूरों ने काम की बेहतर परिथितियों और बेहतर वेतन के लिए तथा रोज़गार की असुरक्षा के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन किये। उन्होंने ठेका प्रथा और मज़दूर–विरोधी क़ानूनों का विरोध किया। उन्होंने संगठित होने के अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया।

अपनी मांगों के एक संयुक्त मांगपत्र के समर्थन में 28–29 मार्च को देशव्यापी आम हड़ताल में करोड़ों मज़दूरों ने भाग लिया। सभी प्रकार की अड़चनों के बावजूद संघर्षरत मज़दूरों ने हड़ताल की – जबकि कई जगहों पर उनके ऊपर आवश्यक सेवा क़ानून (एस्मा) लगाया गया, कई जगहों पर उन्हें धमकियों और कुछ मामलों में पुलिस की मनमानी का सामना करना पड़ा। केरल में बी.पी.सी.एल. के मज़दूरो और सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये आदेश का सामना करना पड़ा।

देशभर में बैंक और बीमा कंपनियों के मज़दूर तथा बाकी सभी कर्मचारी अपने दफ़्तरों में नहीं गये। कोयला, स्टील, गैस व तेल संयंत्रों के मज़दूरों, पावर ग्रिड, बिजली, तांबा उद्योग, बंदरगाह, दूरसंचार और सीमेंट क्षेत्र के मज़दूरों ने 28 मार्च की सुबह से काम बंद कर दिया। महाराष्ट्र में बिजली मज़दूरों और हरियाणा में सड़क परिवहन के मज़दूरों ने राज्य सरकारों द्वारा एस्मा लगाए जाने के बावजूद इसका उल्लंघन करते हुये हड़ताल की। रेलवे और रक्षा क्षेत्र के मज़दूरों ने देशभर में एक हज़ार से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन किए।

इस देशव्यापी हड़ताल में आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन तथा घरेलू मज़दूर, निर्माण मज़दूर, बीड़ी और कृषि मज़दूर, फेरीवाले और दुकानदार, शामिल हुए। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में चक्का

शेष पृष्ठ 4 पर

काम की जगह पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की हालतों पर संहिता : मज़दूरों के अधिकारों का क्रूर हनन

मज़दूर एकता कमेटी द्वारा आयोजित मीटिंग

काम की जगह पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की हालतों पर संहिता (ओ.एस.एच.) उन चार श्रम संहिताओं में से एक है, जिसे हिन्दोस्तानी राज्य ने सितंबर 2020 में लागू किया था। इस संहिता ने इन्हीं मुद्दों से संबंधित, मौजूदा श्रम क़ानूनों को बदल दिया। हमारे देश के मज़दूरों के कई दशकों के संघर्ष और बलिदान के बाद राज्य ऐसे क़ानूनों को पारित करने के लिए मजबूर हुआ, जिस क़ानून ने मज़दूरों के कुछ हिस्सों को कुछ हद तक सामाजिक सुरक्षा देने का वादा किया है। मज़दूरों का कहना है कि ओ.एस.एच. संहिता इन सभी उपलब्धियों पर हमला है। मज़दूरों को काम की जगह पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम करने की हालतों की जिन बदतर परिस्थितियों को पहले ही झेलना पड़ता था, इस संहिता ने उसे और भी विकट तथा ख़तरनाक बना दिया है। यह मज़दूरों के जीवन और सम्मान के अधिकार का क्रूर हनन है। सभी ट्रेड यूनियनों, उद्योगों और सेवाओं से जुड़े मज़दूरों तथा उनके संगठनों ने अपनी पार्टी की संबद्धता को दरकिनार करते हुये, इसका कड़ा विरोध किया है।

24 दिसंबर, 2022 को मज़दूर एकता कमेटी ने ओ.एस.एच. संहिता पर मीटिंग आयोजित की जिसे संबोधित करते हुए, वक्ताओं ने रेलवे, निर्माण स्थलों, कपड़ा व वस्त्र उद्योग, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों, घरेलू कामगारों और कई अन्य क्षेत्रों व सेवाओं से जुड़े मज़दूरों की काम करने की ख़तरनाक परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताया।

मीटिंग में मुख्य वक्ता थे – मज़दूर एकता कमेटी के सचिव श्री बिरजू नायक; ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर्स यूनियन (ए.आई.आर.टी.यू.) के राष्ट्रीय महासचिव श्री कांता राजू; भारतीय रेलवे लोको रनिंगमेन संगठन के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय पांधी; निर्माण मज़दूर पंचायत संगम के सचिव श्री सुभाष भटनागर और सेवाशक्ति हेल्थकेयर कंसल्टेंसी की संस्थापक डॉ. स्वाति राणे। मीटिंग का संचालन मज़दूर एकता कमेटी की ओर से सुचरिता ने किया।

श्री बिरजू नायक ने बताया कि मज़दूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति हमेशा से ही हमारे देश के मज़दूर वर्ग की प्रमुख चिंता रही है। काम की जगह पर हर साल लाखों मज़दूर अपनी जान गंवाते हैं। लाखों लोग घायल हो जाते हैं, उनमें से कई जीवनभर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। फैक्ट्रियों में आग लगना, भूमिगत खदानों का गिरना और उनमें मज़दूरों का फंसना, खदानों में पानी भर जाना और मज़दूरों का डूब जाना, भट्टियों में विस्फोट होना, निर्माण स्थलों पर मज़दूरों का गिरना, काम के दौरान ट्रैकमैन की मौत, सीवर की सफाई के दौरान मौतें, ये सब दुखद घटनाएं हमारे देश में रोजमर्रा की बात हैं – इनमें से कुछ ही के बारे में रिपोर्ट्स भी मिलती हैं, परन्तु अधिकांश की रिपोर्ट तक नहीं की जाती। इस तरह अपनी जान गंवाने वाले अधिकांश मज़दूर ठेके पर काम करने वाले होते हैं। सुरक्षा के सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए, मज़दूरों को ख़तरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। काम की जगहों पर होने वाली मौतों की वास्तविक संख्या के लिये कोई भी आधिकारिक गिनती नहीं की जाती। क्योंकि सरकार को हमारे देश के लाखों अपंजीकृत कारखानों, कार्यालयों, दुकानों, स्वेटशॉप और निर्माण स्थलों में काम करने वाले मज़दूरों की हालतों पर नज़र रखने की कोई परवाह नहीं है।

काम की जगहों पर मज़दूरों की मौतों और उनको लगी चोटों को एक दुर्घटना कह दिया जाता है। ऐसा इसलिये है क्योंकि इस सच्चाई को छिपाया जाता हैं कि यह सब तो पूंजीपति मालिकों द्वारा सुरक्षा उपायों की जानबूझकर की गई उपेक्षा का नतीजा है। अपने मुनाफ़ों को अधिकतम करने की लालच को पूरा करने के लिए, मालिक इसे जायज़ मानते हैं।

बिरजू नायक ने समझाया कि काम की जगह पर होने वाली मौतों का एकमात्र

शेष पृष्ठ 7 पर

अंदर पढ़ें

- सोवियत संघ के गठन की शताब्दी 2
- दुनियाभर के मज़दूर वर्ग और लोगों के संघर्ष 3
- ब्रिटेन के मज़दूरों का संघर्ष 3
- बिजली का निजीकरण 5
- पेट्रोलियम और गैस मज़दूरों ने संघर्ष तेज़ किया 6
- पाठकों की प्रतिक्रिया 6

सोवियत संघ के गठन की शताब्दी पर :

एक बहुराष्ट्रीय श्रमजीवी लोकतांत्रिक राज्य जिसने सभी लोगों के राष्ट्रीय अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की

इस साल 30 दिसंबर को सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (यू.एस.एस.आर.) के गठन के 100 साल पूरे हो गए। उसे रूसी, यूक्रेनी, बेलारूसी और ट्रांसकाकेशियाई सोवियत गणराज्यों द्वारा, स्वेच्छा के आधार पर एक साथ आने के परिणामस्वरूप, गठित किया गया था। वे गणराज्य राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय राज्य थे जिनके राष्ट्रों और लोगों को 1917 की महान अक्तूबर क्रांति के कारण सरमायदारों के शासन से मुक्ति मिली थी। वे सब मिलकर पूंजीवाद से समाजवाद के रास्ते पर चल पड़े थे और उनमें राज्य सत्ता सोवियतों के हाथों में थी। सोवियत शहरों और ग्रामीण इलाकों में मेहनतकश लोगों के राजनीतिक जन संगठन थे।

30 दिसंबर, 1922 की सुबह को हजारों लोगों ने अपनी विभिन्न रंगों की राष्ट्रीय वेशभूषा पहनकर मॉस्को के बोल्शोई थिएटर में प्रवेश किया। उनमें शामिल थे – रूसी शहरों और गांवों से आये प्रतिनिधि, यूक्रेन के लोगों के बेटे और बेटियां, बाइलोरशिया के कारखानों तथा खेतों के प्रतिनिधि, बहुराष्ट्रीय काकेशस और कई अन्य राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं के प्रतिनिधि। कुल मिलाकर 2,215 प्रतिनिधि इस मीटिंग में शामिल हुये थे।

श्रमजीवी वर्ग और उसकी हिरावल पार्टी की अगुवाई में, सरमायदारों के शासन के तख्तापलट और सोवियत सत्ता की स्थापना से उस स्वेच्छा पर आधारित संघ की स्थापना की आवश्यकता पैदा हुई और संभावना भी।

साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रतिक्रान्तिकारी हमले को हराने के लिए सभी सोवियत गणराज्यों का एक होना आवश्यक था। यह श्रमजीवी वर्ग और उसकी हिरावल पार्टी के अंतर्राष्ट्रीयतावाद के कारण संभव हुआ। यह सभी उत्पीड़ित लोगों के दिलो–दिमाग में लेनिन के नेतृत्व वाली बोल्शेविक पार्टी द्वारा जीते गये सम्मान का परिणाम था।

बोल्शेविक पार्टी श्रमजीवी वर्ग के उच्चतम हितों का प्रतिनिधि थी। श्रमजीवी वर्ग को सरमायदारों को हराने के लिये सभी उत्पीड़ित लोगों को एकजुट करने की ज़रूरत थी। बोल्शेविक पार्टी ने सभी सोवियत गणराज्यों को स्वेच्छा पर आधारित संघ में एकजुट करने पर अपना पूरा ज़ोर लगाया। मेहनतकश लोगों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में हुई उन्नति की वजह से अन्य राष्ट्र और लोग समाजवाद के निर्माण की इस ऐतिहासिक परियोजना में शामिल होने के लिए प्रेरित हुये।

आने वाले वर्षों में कई और राष्ट्र स्वेच्छा से सोवियत संघ में शामिल हुए। 1940 तक, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ में 16 संघ गणराज्य और बहुत से स्वायत्त गणराज्य, स्वायत्त क्षेत्र और कई इलाके शामिल हो गये थे।

फरवरी 1935 में सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सोवियतों के सातवें महाअधिवेशन में 1924 के संविधान को बदलने का फ़ैसला लिया गया। यह फ़ैसला उस हक़ीक़त पर आधारित था कि पिछले एक दशक में, वहां व्यापक परिवर्तन हुए थे। देश के भीतर, अलग–अलग वर्गों के

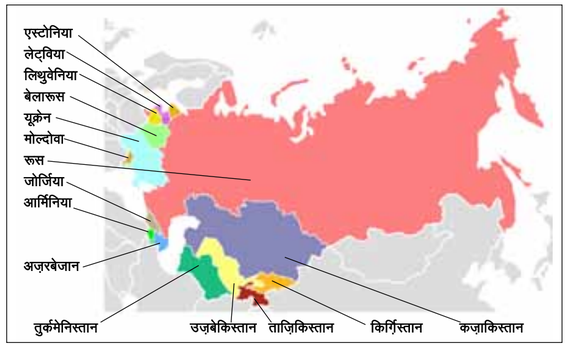

आपसी संबंध पूरी तरह बदल गये थे। एक नये समाजवादी उद्योग का निर्माण हुआ था। पूंजीवादी किसानों का वर्ग अब एक अलग वर्ग बतौर मौजूद नहीं था। सामूहिक खेती की व्यवस्था की जीत हो गई थी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रत्येक शाखा में उत्पादन के साधनों पर समाजवादी मालिकी स्थापित हो चुकी थी।

समाजवाद की जीत की वजह से चुनावी व्यवस्था को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने की संभावना पैदा हुई और ऐसा करने की ज़रूरत भी पैदा हुई। वक़्त का तकाज़ा था कि गुप्त मतदान के साथ–साथ सर्वव्यापी, समान और प्रत्यक्ष मताधिकार की शुरुआत की जाए।

सोवियत संघ का नया संविधान 1936 में अपनाया गया था, जिसे जोसेफ स्टालिन की अध्यक्षता में गठित संविधान आयोग द्वारा तैयार किया गया था। उसके मसौदे को लोगों के बीच राष्ट्रव्यापी चर्चा के लिए रखा गया, और वह चर्चा साढ़े पांच महीने तक चली। 1,50,000 से भी अधिक लोगों ने लिखित सुझाव दिये। कॉमरेड स्टालिन ने खुद दर्सों–हजारों लोगों के पत्रों को पढ़ा। उसके बाद मसौदे को संपादित किया गया और सोवियत संघ के असाधारण आठवें महाअधिवेशन में पारित करने के लिये प्रस्तुत किया गया।

1936 का संविधान, जिसे स्टालिन संविधान के नाम से भी जाना जाता है, उसने राष्ट्रीय अधिकारों सहित, व्यक्तिगत और सामूहिक लोकतांत्रिक अधिकारों की परिभाषा और गारंटी और मजबूत किया। उस संविधान ने प्रत्येक प्रौढ़ नागरिक को रोज़गार का अधिकार, सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, वृद्धावस्था में सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया। साथ ही साथ, उस संविधान ने लोगों को चुनने और चुने जाने के अधिकार और जनसंगठनों या राजनीतिक पार्टियों द्वारा मनोनीत उम्मीदवारों में से अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन करने के अधिकार सुनिश्चित किये।

फ़ैसले लेने की उच्चतम शक्ति सुप्रीम सोवियत के हाथों में निहित थी, जिसमें दो सदन थे। एक लोगों का सदन था और दूसरा राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं का सदन था, जिसमें संघ के प्रत्येक घटक गणराज्य से समान संख्या में प्रतिनिधि शामिल थे। इसी प्रकार से हरेक स्वायत्त गणराज्य से समान संख्या में, पर कुछ कम प्रतिनिधि थे और हरेक स्वायत्त इलाके से भी। राज्य के ढांचे में सभी बड़े और छोटे राष्ट्रों की समानता के असूल की ठोस अभिव्यक्ति थी।

सोवियत संघ की श्रमजीवी अंतर्राष्ट्रीयवादी नीति ही उस उल्लेखनीय आत्मविश्वास और मौत को चुनौति देने वाले साहस का आधार थी, जिसे सोवियत संघ की लाल सेना और लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रदर्शित किया था। उन्होंने पूरे सोवियत संघ को नाज़ी–फासीवादी कब्ज़ाकारियों के चंगुल से आज़ाद कराया था। उन्होंने नाज़ी–जर्मनी और उसके सहयोगियों को भीषण चोट पहुंचाने में सबसे निर्णायक भूमिका निभाई थी और फासीवादी कब्ज़े से यूरोप की मुक्ति में एक निर्णायक योगदान दिया था। फासीवादी धुर्री से जुड़े देशों की हार और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, सोवियत संघ दुनिया में एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के सबसे बेमिसाल उदाहरण के रूप में सामने आया।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 1956 में हुये 20वें महाअधिवेशन से जो संशोधनवादी मोड़ शुरू हुआ था, उसने समाजवाद के पतन और सोवियत संघ में पूंजीवाद की पुनः स्थापना के हालात पैदा किये। अगले कुछ दशकों में, उसने सोवियत लोकतंत्र के पतन तथा राष्ट्रीय दमन और पूंजीवाद व सरमायदारी शासन की दूसरी सभी बुराइयों के फिर से स्थापित होने के हालात पैदा किये। उसके परिणामस्वरूप संघ के भीतर व्यापक असंतोष फैला। इस प्रकार, सोवियत संघ एक सामाजिक–साम्राज्यवादी राज्य बन गया, जो कहने को तो समाजवादी था पर कार्यों में साम्राज्यवादी।

सोवियत संघ में पूंजीवाद की पुनः स्थापना और उसके एक सामाजिक–साम्राज्यवादी राज्य बन जाने के बावजूद, संविधान द्वारा राष्ट्रों के आत्मनिर्धारण के अधिकार की गारंटी क़ायम रही। यही कारण था कि 1991 में रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और सोवियत संघ के कई अन्य घटक शांतिपूर्वक, बिना किसी खून–खराबे के, अलग–अलग स्वतंत्र राज्य बन सके। यह बहुत ही स्पष्ट रूप से साबित करता है कि उनमें से प्रत्येक गणराज्य को वास्तव में सोवियत संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त था और वे इस अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते थे।

सोवियत संघ में हर राष्ट्र और राष्ट्रीयता के अधिकारों की गारंटी बहुराष्ट्रीय सरमायदार राज्यों के अंदर राष्ट्रीय अधिकारों के हनन से बिल्कुल उल्टा है। हिन्दोस्तानी संघ, ब्रिटेन, कनाडा या किसी अन्य सरमायदार राज्य में राष्ट्रों और लोगों के लिए, इस तरह शांतिपूर्ण ढंग से अलग होने की चिंता तक नहीं की जा सकती है।

उन्नत पूंजीवादी देशों और हिन्दोस्तान जैसे तथाकथित उभरते पूंजीवादी देशों के सरमायदार राज्य अपने क्षेत्र के अंदर स्थित राष्ट्रों के आत्मनिर्धारण के अधिकार का न तो आदर करते हैं और न ही इसकी रक्षा करते हैं। उन राज्यों के संविधान इस अधिकार की गारंटी नहीं देते हैं।

हमारे देश में कोई भी राष्ट्र, राष्ट्रीयता या लोग जो अपने आत्मनिर्धारण के अधिकार की मांग करते हैं, उन्हें हिन्दोस्तान की एकता और अखंडता का दुश्मन माना

शेष पृष्ठ 6 पर

30 दिसंबर, 1922 की घोषणा के कुछ अंश

सोवियत गणराज्यों के गठन के बाद, दुनिया दो खेमों में बंट गई – पूंजीवादी और समाजवादी।

पूंजीवादी खेमे में राष्ट्रीय दुश्मनी और असमानता, उपनिवेशवादी गुलामी, उग्र राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय दमन, जनसंहार और साम्राज्यवादी क्रूरता का शासन है।

यहां, समाजवादी खेमे में, आपसी विश्वास और शांति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और समानता, और लोगों का शांतिपूर्ण सहवास व भ्रात्रीय सहयोग पाया जाता है। ... सरमायदारों ने यह साबित कर दिया है कि वे राष्ट्रों के आपसी सहयोग को क़ायम करने में नाक़ामयाब हैं।

केवल सोवियत खेमे में और श्रमजीवी वर्ग के अधिनायकत्व के तहत बहुसंख्यक आबादी के लामबंध होने से ही, राष्ट्रीय उत्पीड़न को जड़ से उखाड़ना, आपसी भारोसे के हालात पैदा करना और भ्रात्रीय सहयोग की नींव डालना मुमकिन हुआ है। केवल इसी हक़ीक़त की वजह से सोवियत गणराज्य विश्व साम्राज्यवाद के अंदरूनी और बाहरी हमलों को हरा सके, गृहयुद्ध को सफलतापूर्वक समाप्त कर सके, खुद को सही–सलामत रख सके और शांतिपूर्ण आर्थिक निर्माण के काम में आगे बढ़ सके।

सोवियत गणराज्यों के लोगों का मत, जो उनके सोवियतों के हाल में हुये महाअधिवेशनों में प्रकट होता है, यही इस बात की भरोसेमंद गारंटी है कि सोवियत संघ समान लोगों का स्वेच्छापूर्ण संघ है, कि इस संघ के द्वार सभी समाजवादी सोवियत गणराज्यों के लिये खुले हैं ... कि यह नया संयुक्त राज्य अक्तूबर 1917 में शुरू हुये, शांतिपूर्ण कम्युनिज़्म और लोगों के भ्रात्रीय सहयोग को स्थापित करने के संघर्ष की उचित संपूर्णता होगी, कि यह राज्य विश्व साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ एक शक्तिशाली दीवार बनकर खड़ा होगा और एक विश्व समाजवादी सोवियत गणराज्य के अंदर सभी देशों के मज़दूरों की एकता स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक क़दम होगा।

साल 2022 में दुनियाभर के मज़दूर वर्ग और लोगों के संघर्ष

सभी पूंजीवादी देश एक ऐसे आर्थिक संकट में घिरे हुए हैं जो लगातार गहरा होता जा रहा है। साम्राज्यवादी पूंजीपति वर्ग संकट का बोझ मज़दूर वर्ग और जनता की पीठ पर लाद रहा है। अमरीका और कनाडा, ब्रिटेन व यूरोप के अन्य देशों में पिछले दो वर्षों में कोविड महामारी के नाम पर मज़दूरों की आजीविका और अधिकारों पर किए गए हमले, अब यूक्रेन में युद्ध के नाम पर 2022 में और तेज़ हो गए हैं।

मेहनतकश लोगों ने इसे चुपचाप नहीं सहा है। उन्होंने बढ़ती बेरोज़गारी और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती क़ीमतों के ख़िलाफ़ अपना गुस्सा व्यक्त किया है। "बढ़ती क़ीमतों को रोको, मज़दूरी को नहीं" हड़ताली मज़दूरों द्वारा उठाया गया यह नारा, एक लोकप्रिय नारा रहा और हड़ताल की कई कार्रवाइयों के दौरान इसे बैनरों पर प्रदर्शित किया गया।

मज़दूरों ने परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं का इजारेदारों द्वारा अधिग्रहण किये जाने का विरोध किया है। उन्होंने सामाजिक सेवाओं में कटौती की निंदा की है। मेहनतकश लोगों ने सैन्यीकरण

ऑस्ट्रिया (नवंबर, 2022)

और नाटो गठबंधन की जंगफरोशी में अपने देशों की भागीदारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है।

18 जून को दर्सों हजार मज़दूरों ने सेंट्रल लंदन की सड़कों पर जुलूस निकला। जिसमें कई क्षेत्रों के मज़दूरों ने हिस्सा लिया। जिसमें विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यकर्ताओं द्वारा उठाये गए सैकड़ों बैनरों और तख़्तियों पर लिखे नारे लोगों के विभिन्न तबकों की मांगों को दर्शा रहे थे।

ब्रिटेन की सबसे बड़ी नर्सिंग यूनियन – रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग (आर.सी.एन.) के कम से कम 1,00,000 सदस्यों ने 15 दिसंबर को इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में हड़ताल में भाग लिया। आर.सी.एन. के 106 साल के इतिहास में यह सबसे बड़ी हड़ताल थी। यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस (एन.एच.एस.) के लिए काम करने वाले ये स्वास्थ्य कर्मचारी महामारी के दौरान और उसके बाद से ही काम की बेहतर परिस्थितियों की मांग कर रहे थे। लेकिन उनकी मांगों को नज़रंदाज़ कर दिया गया और उनसे उम्मीद की जा रही

प्राग, चेक गणराज्य (नवंबर, 2022)

थी कि वे उन वार्डों में काम करें, जहां कर्मचारियों की भारी कमी है तथा उन्हीं वेतनमानों पर काम करें जो वर्षों पहले तय किये गये थे।

यूरोप के मज़दूरों ने अपने जीवन स्तर पर हो रहे हमलों के ख़िलाफ़ व्यापक रोष व्यक्त किया है।

फ्रांस में एस.एन.सी.एफ. (फ्रांस के राज्य की मालिकी वाली रेलवे) के कर्मचारियों की चार यूनियनें – सी.जी.टी., यू.एन.एस.ए., एस.यू.डी.–रेल और सी.एफ.डी.टी. – वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 6 जुलाई को हड़ताल पर चली गईं। इस हड़ताल ने पूरे देश में रेल सेवाओं को ठप्प कर दिया। विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों के लगभग 1,00,000 मज़दूरों ने 18 अक्तूबर को पूरे फ्रांस के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किए। उन्होंने जीवन यापन के लिये होने वाले, बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए वेतन वृद्धि की मांग की। उन्होंने बताया कि जब इजारेदार पूंजीपति बड़े पैमाने पर मुनाफ़ा कमा रहे थे, तब मज़दूरों को बताया जा रहा था कि उनका वेतन नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है।

बेल्जियम में मज़दूरों ने 20 जून को देशव्यापी हड़ताल की। उसी दिन राजधानी ब्रुसेल्स में एक सामूहिक प्रदर्शन आयोजित किया गया था। प्रदर्शन में तीन प्रमुख मज़दूर यूनियनों के 80,000 से अधिक मज़दूरों ने भाग लिया। कई क्षेत्रों में हड़तालें हुईं, विशेषकर परिवहन क्षेत्र के मज़दूरों की हड़ताल ने देश के यातायात को ठप्प कर दिया। साल 2022 के फरवरी, अप्रैल और मई में पूरे बेल्जियम में इसी तरह के प्रदर्शन आयोजित किए गए।

इसी तरह, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया और इटली के मज़दूरों ने जीवन–यापन पर होने वाले बढ़ते खर्च और जीवन स्तर में हो रही गिरावट पर अपनी सरकारों द्वारा ध्यान देने से इंकार करने का विरोध किया। इन देशों में पूरे साल दर्सों हजार मेहनतकश लोगों ने प्रदर्शन किया। इटली में कामकाजी लोगों ने अपने बिजली के बिलों का भुगतान करने से इनकार कर दिया, जो कि वर्ष के दौरान 300–400 प्रतिशत तक बढ़ गया है और सार्वजनिक रूप से उन्हें सड़कों पर जला दिया।

नाटो शिखर सम्मेलन का भारी विरोध हुआ

यूक्रेन में युद्ध को बढ़ावा देने के लिए अमरीका के नेतृत्व वाली चालों का पूरे यूरोप के मज़दूरों ने विरोध किया। मज़दूरों ने नारे लगाए, "पैसा मज़दूरी के लिए, युद्ध के लिए नहीं!", "नाटो को बंद करो!" उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि रूस के ख़िलाफ़ लगाये गये प्रतिबंध और सैन्यीकरण पर बढ़ता खर्च ही क़ीमतों को बढ़ा रहा है। उन्होंने मांग की कि उनकी सरकार युद्ध पर होने वाले खर्च को बंद करे और मेहनतकश लोगों की भलाई में निवेश करना शुरू करे।

28–30 जून को स्पेन के मैड्रिड शहर में आयोजित किये गये नाटो शिखर सम्मेलन के विरोध में हुई कार्यवाहियों में हजारों लोगों ने भाग लिया। विरोध प्रदर्शन की कार्रवाइयों पर लगाये गये प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुये, ये कार्यवाहियां आयोजित की गईं।

फ्रांस, बेल्जियम, मोल्दोवा, चेक गणराज्य, हंगरी और जर्मनी के शहरों में हजारों लोगों ने जुलूस निकाले और

नाटो शिखर सम्मेलन के ख़िलाफ़ यूरोपभर में प्रदर्शन

रूस पर लगे प्रतिबंधों को ख़त्म करने की मांग की, इन प्रतिबंधों की वजह से बहुत से निवासियों और व्यवसायों के लिए आर्थिक संकट पैदा हो गया है।

जर्मनी में 19–26 जून के बीच सैकड़ों प्रदर्शनकारी अमरीकी हवाई छावनी रामस्टीन बेस के पास एक सप्ताह के लंबे पड़ाव में शामिल हुए। अमरीका के बाहर यह सबसे बड़ी हवाई छावनी है। अमरीकी लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जर्मनी से इसे तुरंत बंद कर दिया जाये। ऊर्जा की बढ़ती लागत और यूक्रेन में हो रहे युद्ध के ख़िलाफ़ डसेलडोर्फ, बर्लिन, कोलोन और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए।

कनाडा के कई शहरों में रैलियां, विरोध सभाएं और वर्चुअल मीटिंगें भी आयोजित हुईं, जो नाटो रणनीतिक अवधारणा 2022 शिखर सम्मेलन की निंदा करने के लिए आयोजित की गईं। युद्ध भड़काने और युद्ध की तैयारियों की निंदा करने और नाटो को भंग करने की मांग की गई।

http://hindi.cgpi.org/22926

ब्रिटेन के मज़दूरों ने अपना संघर्ष तेज़ किया

ब्रिटेन में सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा सहित कई प्रमुख उद्योगों और सेवाओं में श्रमिकों के संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं।

पूरे स्कॉटलैंड के शिक्षकों ने दिसंबर 2022 की शुरुआत में लगभग 40 वर्षों में पहली बार हड़ताल की। इंग्लैंड और वेल्स में शिक्षा क्षेत्र के लाखों मज़दूर सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक सरकारी धन और अपने लिये बेहतर वेतन की मांगों को लेकर हड़ताल की योजना बना रहे हैं।

ब्रिटेन में स्वास्थ्य क्षेत्र के मज़दूरों ने 2022 के पूरे दिसंबर माह के दौरान विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला चलाई। उसी महीने के अंतिम सप्ताह में उन्होंने घोषणा की कि वे पूरे 2023 के दौरान अधिक वेतन और कामकाज की बेहतर परिस्थितियों के लिए अपने संघर्ष को तेज़ करेंगे।

इंग्लैंड और वेल्स में हजारों नर्सें और एम्बुलेंस मज़दूर दिसंबर 2022 में हड़ताल पर रहे और जनवरी 2023 में और भी विरोध प्रदर्शनों व हड़तालों की योजना बना रहे हैं। वे बेहतर वेतन और कामकाजी परिस्थिति की मांग कर रहे हैं।

रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग (आर.सी.एन.) की नर्सों के 18–19 जनवरी, 2023

को हड़ताल पर जाने की उम्मीद है। जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती क़ीमतों के चलते वे वेतन बढ़ाने की अपनी मांगों को लेकर दिसंबर 2022 में पहले ही हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर चुकी हैं।

आर.सी.एन. के महासचिव के मुताबिक, कई दौर की बातचीत के बावजूद सरकार नर्सों के वेतन को नहीं बढ़ाने के अपने फ़ैसले पर अड़ी हुई है। नर्सें अपने संघर्ष को और तेज़ करने के लिए अडिग हैं।

स्कॉटलैंड में नर्सों की यूनियनों ने सरकार के नये वेतन प्रस्ताव पर मतदान करके उसे अस्वीकार कर दिया व 15 और 20 दिसंबर को हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी।

ब्रिटेन में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने बेहतर वेतन और कामकाज की बेहतर परिस्थिति की मांग को लेकर 11 जनवरी को हड़ताल की कार्रवाई की घोषणा की है।

ब्रिटेन की सरकार ने मज़दूरों की मांगों को मानने से इंकार कर दिया है। इसके बजाय, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और ब्रिटिश सरकार के अन्य प्रमुख सदस्यों ने हड़ताल को तोड़ने और अस्पताल तथा एम्बुलेंस सेवाओं को चलाने के लिए सेना तैनात करने की धमकी दी है। स्वास्थ्य कर्मियों को आशंका है कि सेना के जवान हड़ताली नर्सों और एंबुलेंस के मज़दूरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे।

जाहिर है, ब्रिटिश शासक वर्ग को न तो मज़दूरों की कामकाजी परिस्थिति की चिंता है और न ही लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की।

http://hindi.cgpi.org/22982

वर्ष 2022 में देशभर में संघर्ष ...

पृष्ठ 1 का शेष

जाम, सड़क रोको, रेल रोको जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया तथा विरोध–प्रदर्शन आयोजित किये। देशभर में, विशेषकर डाक विभाग व आयकर विभाग तथा केंद्र व राज्य सरकारों के प्रमुख विभागों के मज़दूरों ने इस देशव्यापी हड़ताल में भारी भागीदारी की।

कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और हरियाणा में दोनों दिन बड़े पैमाने पर हड़ताल की।

मज़दूरों ने पूरे देश में मई दिवस पर जुलूस और रैलियां आयोजित कीं। मज़दूरों ने कई राज्यों की राजधानियों और विभिन्न शहरों में संयुक्त जुलूसों और प्रदर्शनों में भाग लिया।

8 मार्च को देशभर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए कई रैलियां और प्रदर्शन आयोजित किये गये। कई महिला संगठनों ने मिलकर 8 मार्च को नई दिल्ली के जंतर–मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया।

बिजली वितरण के निजीकरण के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए देशभर के बिजली आपूर्ति मज़दूरों ने कई जुझारू संघर्ष किये।

केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण करने के सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 21 दिसंबर, 2021 को जम्मू और कश्मीर के बिजली कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल के साथ 2022 की शुरुआत हुई। मज़दूरों ने अपनी मांगों के लिए लोगों का समर्थन हासिल किया। कड़ाके की ठंड में ब्लैक आउट के बावजूद, लोगों ने हड़ताल का समर्थन किया। सरकार को मज़बूरन अपने प्रस्ताव पर रोक लगानी पड़ी। दिसंबर 2022 में पुदुचेरी के बिजली विभाग के मज़दूरों ने निजीकरण के ख़िलाफ़ हड़ताल की। उन्होंने सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद ही अपनी हड़ताल वापस ली; सरकार का आश्वासन था कि बिजली वितरण के निजीकरण की

किसानों द्वारा संगरूर में पंजाब के मुख्यमंत्री का घेराव

प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जम्मू–कश्मीर और पुदुचेरी के संघर्षरत मज़दूरों को अन्य राज्यों के बिजली मज़दूरों का समर्थन मिला।

बिजली आपूर्ति क्षेत्र के मज़दूरों ने बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 के ख़िलाफ़, नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में 2 अगस्त को एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। 8 अगस्त को जिस दिन बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया, उसी दिन देश के 25 शहरों में बिजली मज़दूरों ने नेशनल कोर्डिनेशन कमेटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लॉईज़ एंड इंजीनियर्स (एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई.) के आह्वान पर "काम रोको" विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया। 23 नवंबर को नई दिल्ली के जंतर–मंतर पर हिन्दोस्तान के सभी हिस्सों से आये बिजली आपूर्ति क्षेत्र के हजारों मज़दूर 'बिजली क्रांति रैली' के बैनर तले विरोध प्रदर्शन में एकजुट हुये। इस समय महाराष्ट्र में बिजली आपूर्ति क्षेत्र के मज़दूर, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले पनबिजली संयंत्रों को निजी कंपनियों को सौंपे जाने तथा नए उप–स्टेशनों के संचालन को निजी ठेकेदारों को सौंप जाने के विरोध में 18 जनवरी, 2023 से होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी में लगे हुये हैं।

28 मार्च, 2022 को मदुरई में विरोध प्रदर्शन

चण्डीगढ़ में बिजली मज़दूरों का विरोध–प्रदर्शन

रेल मज़दूर रेलवे के निजीकरण की सरकार की नीति का जमकर विरोध कर रहे हैं। रेल मज़दूरों के विभिन्न अनुभागों जैसे कि लोको पायलट, गार्ड, ट्रैक मेंटेनर, स्टेशन मास्टर, सिग्नलिंग स्टाफ़, आदि ने अपनी सेवा शर्तों से संबंधित मांगों के समर्थन में तथा निजीकरण के विरोध में अनेक प्रदर्शन आयोजित किए हैं। 4 अगस्त, 2022 को ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (ए.आई.एल.आर.एस.ए.) के नेतृत्व में लोको पायलटों ने संसद के बाहर धरना दिया। सितंबर में हजारों ट्रैक मेंटेनरों ने अपने काम की अमानवीय परिस्थितियों के ख़िलाफ़ दिल्ली में एक जुझारू रैली की। ट्रैक मेंटेनरों को जिन ख़तरनाक परिस्तिथियों में काम करना पड़ता है, उनके परिणामस्वरूप प्रतिदिन ड्यूटी के दौरान लगभग दो मज़दूरों की मौत हो जाती है।

देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक मज़दूर, बैंकों के निजीकरण और मज़दूरों के ऊपर थोपी जा रही ठेका मज़दूरी का कड़ा विरोध कर रहे हैं। बड़े पूंजीपतियों के करोड़ों रुपये के क़र्ज़ को एन.पी.ए. के नाम पर बट्टे खाते में डालकर, सरकार द्वारा जनता के धन की लूट का बैंक मज़दूर विरोध करते आये हैं। वे देशभर में बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियानों और ग्राहकों पर निजीकरण के दुष्प्रभावों को समझाने वाले वीडियो और पोस्टर के साथ लोगों तक पहुंच रहे हैं।

21 जुलाई को यूनाइटेड फोरम ऑफ़ बैंक यूनियंस ने दिल्ली में धरना देकर अपनी मांगों को रखा। उनकी मांगों में शामिल है – किसी भी नाम से निजीकरण की सभी योजनाओं को वापस लेना, बैंक प्रबंधन के द्वारा किये जा रहे बढ़ते हमलों को रोकना, मज़दूरों को परेशान करने के लिए किये गये तबादलों को रोकना, स्थायी नौकरियों की आउटसोर्सिंग जैसी मज़दूरी की अनुचित प्रथाओं को रोकना और सुरक्षित नौकरी पाना।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर संघर्ष को तेज़ करने के लिए, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने 28 मई को 'मांग दिवस' के रूप में मनाया। इस संघर्ष में रेलवे, डाक और टेलीग्राफ़, आदि की यूनियनों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। देशभर के सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना को ख़त्म करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं।

पिछले साल में पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में सड़क परिवहन मज़दूरों और अरुणाचल प्रदेश में सड़क निर्माण मज़दूरों ने नियमित रोज़गार और मज़दूरी के भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल की।

विभिन्न राज्यों में आशा और आंगनवाड़ी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अपने को मज़दूरों के रूप में पहचाने जाने के अपने अधिकारों और वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी पाने के लिये और साथ ही साथ अन्य सुविधाओं जैसे कि बीमारी अवकाश, मातृत्व अवकाश, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि के लिए, समय–समय पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किये हैं। उन्होंने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन, अपनी मांगों के समर्थन में देश की राजधानी में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसियेशन के बैनर तले संगठित हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने यूनियन द्वारा आयोजित विरोध कार्यक्रमों में भाग लेने के कारण बर्ख़ास्त किये गये 800 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बहाली की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर 4 नवंबर को प्रदर्शन किया।

दिल्ली और देश के कई शहरों में सरकारी अस्पतालों की नर्सें नौकरी से बर्ख़ास्त किये जाने के विरोध में संघर्ष कर रही हैं। इन नर्सों को कोविड महामारी के दौरान काम पर रखा गया था। उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी। अब उन्हें बेरहमी से नौकरी से निकाला जा रहा है।

सफ़ाई कर्मचारी बेहतर वेतन, काम की बेहतर स्थिति और अपने रोज़गार के नियमितीकरण के लिए विरोध–प्रदर्शन कर रहे हैं। सफ़ाई के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश मज़दूरों की कहानी पूरे देश में एक जैसी ही है। बढ़ती ठेकेदारी और लंबे समय से बकाया वेतन का भुगतान न होने के कारण सफ़ाई मज़दूरों का जीवन बेहद कठिन हो गया है।

रेलवे मेल सर्विस (आर.एम.एस.), मेल मोटर सर्विस (एम.एम.एस.), पोस्ट ऑफ़िस बैंक सर्विस (पी.ओ.बी.एस.) और ग्रामीण डाक सेवकों सहित भारतीय डाक के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों ने 10 अगस्त को एक दिवसीय हड़ताल की। डाक मज़दूरों की कई यूनियनों के संयुक्त मंच – पोस्टल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ़ एक्शन (पी.जे.सी.ए.) के बैनर तले इस हड़ताल का आयोजन किया गया था। सभी प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल को समर्थन दिया था। डाक कर्मचारी बार–बार इस बात की ओर इशारा करते आ रहे हैं कि डाक सेवाओं के निजीकरण से देश के दूर–दराज़ के इलाकों की डाक सेवाओं में गिरावट आ रही है। यह समाज के हितों के ख़िलाफ़ है।

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों के किसानों ने अपनी मांगों के लिए संघर्ष जारी रखा है। उन्होंने दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों को लागू करवाने की मांग को लेकर, रेल रोको और अन्य जुझारू विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। कृषि के लिये लागत वस्तुओं, सिंचाई की बेहतर सुविधाओं व क़र्ज़माफ़ी के लिये तथा बिजली संशोधन विधेयक के ख़िलाफ़ उनका संघर्ष जारी है। वे उन सब किसानों को मुआवज़ा देने की मांग भी कर रहे हैं जिनकी फ़सलें बारिश की वजह से या कीटों के हमले के कारण ख़राब हो गई हैं। किसानों ने मांग की है कि धान की पराली के प्रबंधन व भूमि अधिग्रहण के लिये पर्याप्त मुआवज़ा और जिन डेयरी किसानों के पशुधन लंपी रोग के कारण मर गये हैं उन्हें भी मुआवज़ा मिले। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी

28 सितम्बर, 2022 को ट्रैकमैनों का दिल्ली में प्रदर्शन

की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारी किसानों की हत्या के गुनहगारों को सज़ा दिलाने और पुलिस द्वारा आंदोलनकारी किसानों के ख़िलाफ़ लगाये गये झूठे मुक़दमों को वापस करवाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखा है।

किसानों ने 27 नवंबर को अपने आंदोलन के शुरुआत किये जान की दूसरी वर्षगांठ पर देश के राज्यों की राजधानियों में राज्यपाल के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी उन सभी मांगों को फिर से दोहराया, जिन्हें सरकार ने अपने वादों के बावजूद, अभी तक पूरा नहीं किया है।

वर्ष 2022 में, पूंजीपतियों के मज़दूर–विरोधी, किसान–विरोधी और समाज–विरोधी कार्यक्रम के ख़िलाफ़ मज़दूरों और किसानों के बीच एकता बढ़ती जा रही है। मार्च 2022 की सर्व हिन्द आम हड़ताल में मज़दूरों के साथ–साथ किसान संगठनों और खेतिहर मज़दूरों की ट्रेड यूनियनों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। किसानों की यूनियनों द्वारा 27 नवंबर को विभिन्न राज्यों की राजधानियों में आयोजित विरोध प्रदर्शनों में मज़दूर यूनियनों की ज़ोरदार भागीदारी रही।

http://hindi.cgpi.org/22940

मज़दूर एकता लहर

(इंटरनेट संस्करण)

हिन्दी : http://www.hindi.cgpi.org,
अंग्रेज़ी : http://www.cgpi.org
पंजाबी : http://www.punjabi.cgpi.org **तामिल** : http://www.tamil.cgpi.org
ई मेल : melpaper@yahoo.com,
mazdoorektalehar@gmail.com
Ph.09868811998, 09810167911

महाराष्ट्र के बिजली क्षेत्र के मज़दूरों ने निजीकरण के ख़िलाफ़ अपना संघर्ष तेज़ किया :

बिजली का निजीकरण समाज–विरोधी और मज़दूर–विरोधी है

पिछले 2 वर्षों में देशभर के बिजली क्षेत्र के मज़दूरों ने बिजली क्षेत्र के निजीकरण की पूंजीवादी योजना को बार–बार चुनौती दी है। दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र के बिजली क्षेत्र के मज़दूरों ने पूरे महाराष्ट्र में बिजली क्षेत्र के बढ़ते निजीकरण के विरोध में अथक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 4 जनवरी 2023 को 72 घंटे की हड़ताल शुरू की।

पूंजीपति सर्व हिन्द स्तर पर बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को पारित करने की मांग कर रहे हैं। जिससे राज्य बिजली बोर्डों के वितरण नेटवर्क के निजीकरण में आसानी होगी। इसके साथ ही, विभिन्न राज्य सरकारें बिजली (संशोधन) विधेयक के पारित होने की प्रतीक्षा किए बिना, बिजली आपूर्ति का निजीकरण कर रही हैं। निजी बिजली कंपनियों, अडानी पावर और टोरेंट पावर ने महाराष्ट्र के मुख्य रूप से शहरी औद्योगिक केंद्रों के बड़े अत्यधिक लाभदायक हिस्सों में समानांतर वितरण के लिए आवेदन दिए हैं। इसी तरह, टाटा पावर ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बिजली क्षेत्र का पूर्ण अधिग्रहण करने की इच्छा जाहिर की है। जिनका मक़सद स्पष्ट है कि सबसे अधिक लाभदायक क्षेत्रों में बिजली के वितरण को अपने हाथ में लेना।

महाराष्ट्र के बिजली कर्मचारियों ने सरमायदारों द्वारा किये जा रहे हमलों का जवाब दिया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन और सबऑर्डिनेट इंजीनियर्स एसोसिएशन सहित इंजीनियरों, कर्मचारियों और अधिकारियों की 30 से अधिक यूनियनों ने एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया है। जिसे महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियन्ते व अधिकारी संघर्ष समिती कहते हैं। संयुक्त संघर्ष समिति ने कामगार एकता कमेटी व अन्य मज़दूर संगठनों और जनसंगठनों के साथ मिलकर, निजीकरण के ख़िलाफ़ एक सार्वजनिक अभियान चलाया। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि निजीकरण से कामकाजी लोगों के लिए बिजली बहुत महंगी हो जाएगी।

संयुक्त संघर्ष समिति ने घोषणा की कि किसी के पास यह अधिकार नहीं है कि वह मज़दूरों के श्रम से और लोगों के टैक्स के पैसे से बनाये गये सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में सौंप दे। समिति ने 30,000 से अधिक ठेका मज़दूरों को नियमित करने की मांग की, जो बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के अत्यधिक शोषणकारी परिस्थितियों में वर्षों से काम कर रहे हैं। समिति ने दिसंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में नागपुर में विधानसभा के सामने एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें हजारों मज़दूरों ने भाग लिया।

हड़ताली कर्मचारियों के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (मेस्मा) लगाने की महाराष्ट्र सरकार की धमकी के बावजूद, बिजली कर्मचारियों ने 4 जनवरी, 2023 को अपनी

हड़ताल शुरू की। देशभर के बिजली क्षेत्र के मज़दूरों के संगठनों ने महाराष्ट्र के अपने भाइयों और बहनों को अपना समर्थन दिया, जबकि आसपास के राज्यों की यूनियनों ने महाराष्ट्र में जाकर हड़ताल तोड़ने का काम करने से इंकार कर दिया।

यह देखते हुए कि बिजली कर्मचारी दृढ़ता से एकजुट हैं और यह महसूस कर रहे हैं कि उनके संघर्षों के लिए राज्य के मेहनतकश लोगों का समर्थन बढ़ रहा है, महाराष्ट्र सरकार को बिजली मज़दूरों के साथ बातचीत करने के लिये आना पड़ा और कुछ हद तक उनकी मांगों को मानना पड़ा।

बिजली कर्मचारियों को यह समझने की ज़रूरत है कि यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाया गया एक अस्थायी क़दम है। मज़दूर पूंजीपति वर्ग की सरकारों के वादों पर विश्वास नहीं कर सकते। पूंजीपतियों की निजीकरण की योजना को विफल करने के लिए, बिजली कर्मचारियों को संघर्ष को और तेज़ करते हुए, और पूरे देश के मेहनतकश लोगों को शामिल करके संघर्ष को व्यापक बनाने की आवश्यकता है।

आधुनिक समाज में भोजन, आवास, बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित पेयजल, परिवहन और संचार, आदि के साथ–साथ बिजली भी प्रत्येक मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। यह जीवन के अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है और इसलिए इसे एक सर्वव्यापी मानव अधिकार माना जाना चाहिए। राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि यह अधिकार प्रत्येक मनुष्य को हासिल हो सके।

परन्तु, आज़ादी के 75 साल बाद भी, करोड़ों ग्रामीण और शहरी घरों में बिजली की सुविधा नहीं है, या वे न्यूनतम बिजली का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास बिजली का बिल भरने के लिये पैसे नहीं हैं। बिजली उत्पादन और वितरण का विस्तार योजनाबद्ध तरीक़े से करने तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हर देशवासी की बिजली की बढ़ती ज़रूरत को पूरा किया जाए।

बिजली को लेकर जो वर्ग संघर्ष चल रहा है, वह इस बात को लेकर है कि इस महत्वपूर्ण उत्पादक शक्ति का मालिक कौन है और इसके उत्पादन और वितरण का उद्देश्य क्या होना चाहिए।

एक तरफ़ इजारेदार पूंजीपति बिजली आपूर्ति को अपने लिए अधिकतम मुनाफ़े के स्रोत के रूप में देखते हैं। प्रमुख राजनीतिक पार्टियों और हिन्दोस्तानी राज्य पर अपने वर्चस्व का इस्तेमाल करते हुए, पूंजीपतियों ने यह सुनिश्चित किया है कि हर सरकार बिजली आपूर्ति के निजीकरण के कार्यक्रम को लागू करे।

दूसरी तरफ़ बिजली क्षेत्र के मज़दूर और मेहनतकश लोग हैं, जो इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि पूरे समाज की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिजली एक अनिवार्य आवश्यकता है, और यह एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। वे इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि इस क्षेत्र में निजी लाभ की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इजारेदार पूंजीपति इस मानव अधिकार को कभी सुनिश्चित नहीं कर सकते।

1991–1992 से केंद्र और अधिकांश राज्यों की हर सरकार ने बिजली क्षेत्र के निजीकरण को बढ़ाने पर ज़ोर दिया है। सबसे पहले बिजली उत्पादन क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला गया। फिर बिजली अधिनियम 2003 के माध्यम से, अधिकांश राज्य बिजली बोर्डों को विभाजित किया गया और बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण करने वाली कंपनियों में विभाजित कर दिया गया। ऐसा न केवल मज़दूरों की एकता को तोड़ने और मज़दूरों की ताक़त को कम करने के लिए किया गया था, बल्कि इसने लाभदायक बिजली उत्पादन और वितरण में निजी पूंजी को आसानी से प्रवेश करने में भी मदद की।

बेशक ये सभी क़दम लोगों को बेहतर गुणवत्ता की, सस्ती और आसानी से उपलब्ध बिजली देने के नाम पर उठाये गए थे। परन्तु लोगों का अनुभव यह रहा है कि बिजली पहले के मुक़ाबले कहीं अधिक महंगी हो गई है और आसानी से उपलब्ध भी नहीं होती। जबकि दूसरी ओर निजी कंपनियां भारी मुनाफ़ा कमाती रही हैं। इससे यह तथ्य सिद्ध हो गया है कि इन तथाकथित सुधारों का वास्तविक उद्देश्य लोगों की सेवा करना नहीं था बल्कि निजी कंपनियों को और धनी बनाना था।

पूंजीपतियों की लालच स्वभाविकत: कभी पूरी नहीं हो सकती। वे हमेशा अधिक से अधिक मुनाफ़ा चाहते हैं। उनकी चाहत को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार 2014 से विद्युत (संशोधन) अधिनियम के ज़रिये, और सुधार लाने पर ज़ोर दे रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है लोगों के पैसे और श्रम से निर्मित लाखों करोड़ रुपये के उत्पादन, पारेषण और वितरण के बुनियादी ढांचे को औने–पौने दामों पर निजी पूंजीपतियों को सौंपना और बिजली वितरण में निजी कंपनियों के प्रवेश को आसान बनाना।

देशभर में अपनी एकता का उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुये, विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे बिजली क्षेत्र के मज़दूरों ने केंद्र सरकार के बिजली संशोधन अधिनियम को पास करावने के प्रयासों का वीरतापूर्वक विरोध किया है। उन्हें नौकरी से निकालने की सरकार द्वारा बार–बार दी गयी धमकियों के आगे वे झुके नहीं हैं। उन्होंने उजागर किया है कि कैसे पिछले 30 वर्षों में विभिन्न सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों को सुनियोजित तरीक़े से कमजोर किया है। निजीकरण के ख़िलाफ़ बिजली मज़दूरों का जुझारू संघर्ष, उन सभी मज़दूरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो निजीकरण के ख़िलाफ़ और अपनी रोज़ी–रोटी और अधिकारों पर हो रहे हमलों के ख़िलाफ़ बहादुरी से लड़ रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण हमारे देश के इजारेदार पूंजीपतियों के समूहों द्वारा निर्देशित एक कार्यक्रम है।

इस योजना को पूरी तरह से हराने के लिए पूरी अर्थव्यवस्था का संपूर्ण नव–निर्माण करने की आवश्यकता है। वर्तमान में अर्थव्यवस्था हिन्दोस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय इजारेदार पूंजीपतियों के लिये ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा पैदा करने की दिशा में चलती है। इस दिशा को पलटना होगा। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण को संपूर्ण जनसंख्या की बढ़ती भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की अधिकतम संभावित पूर्ति के मक़सद से संचालित करने की आवश्यकता है।

अत: बिजली के निजीकरण के ख़िलाफ़ किया जा रहा संघर्ष भी पूंजीवादी व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी दिशा के ख़िलाफ़ संघर्ष का एक अनिवार्य हिस्सा है। मज़दूर वर्ग को पूंजीवाद से छुटकारा पाने के लिये और अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिये मेहनतकश किसानों के साथ गठबंधन करके अपना राज स्थापित करने की आवश्यकता है।

देशभर में निजीकरण के ख़िलाफ़ चल रहा संघर्ष, जैसे–जैसे तेज़ होता जा रहा है, वैसे–वैसे ज्यादा से ज्यादा मेहनतकश लोग अपने जीवन के अनुभव से इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं।

http://hindi.cgpi.org/22994

कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का प्रकाशन

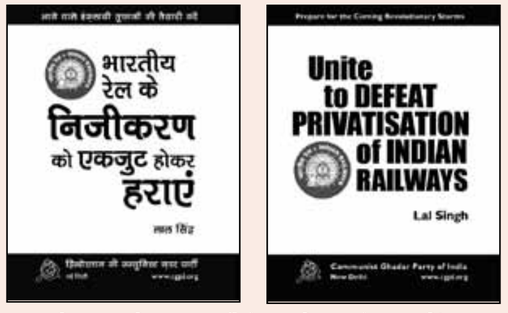

यह पुस्तिका कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह द्वारा 13 मई, 2018 को दिल्ली में पार्टी की एक सभा में प्रस्तुत की गई थी।

पेट्रोलियम और गैस मज़दूरों ने संघर्ष तेज़ किया

पेट्रोलियम और गैस मज़दूरों ने निजीकरण के समाज–विरोधी, देश–विरोधी और मज़दूर–विरोधी कार्यक्रम के ख़िलाफ़ और मज़दूर बतौर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, संघर्ष को तेज़ करने का फ़ैसला किया है। निकट भविष्य में वे ऊर्जा क्षेत्र के मज़दूरों की सर्व हिन्द संयुक्त हड़ताल का आयोजन करने के लिए बिजली व कोयला क्षेत्र के मज़दूरों से समन्वय करेंगे। यह निर्णय दिसंबर 2022 में असम के दुलियाजान में आयोजित पांचवें त्रैवार्षिक सम्मेलन में पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (पी.जी.डब्ल्यू.एफ.आई.) द्वारा लिया गया था।

पी.जी.डब्ल्यू.एफ.आई. सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोलियम उपक्रमों के मज़दूरों का प्रतिनिधित्व करने वाली चालीस से अधिक ट्रेड यूनियनों का एक फेडरेशन है, जिसका गठन 2005 में हुआ था। इसमें पेट्रोलियम और गैस की खोज करने वाले और निकालने वाले मज़दूरों, पेट्रोलियम शोधन, पेट्रोलियम और गैस वितरण और विपणन में लगे मज़दूरों की यूनियनें शामिल हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.), हिन्दोस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.), मैंगलोर रिफाइनरीज (एम.आर.पी.एल.) और इंडियन आयॅल कॉर्पोरेशन की ट्रेड यूनियनों ने मिलकर पी.जी.डब्ल्यू.एफ.आई.का गठन किया है।

2002 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार द्वारा बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. की व्यापारिक संपत्तियों के निजीकरण के प्रयासों के बाद, पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र के मज़दूरों की यूनियनों ने निजीकरण और मज़दूरों के अधिकारों पर हो रहे हमलों के ख़िलाफ़ एक संयुक्त मोर्चा बनाना शुरू किया। उन्होंने तीन दिवसीय सफल हड़ताल करके, निजीकरण की योजनाओं को वापस लेने के लिए उस सरकार को मजबूर किया था। हालांकि, उसके बाद की सभी सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को ख़त्म करके पेट्रोलियम क्षेत्र के निजीकरण पर ज़ोर देना जारी रखा है।

इस प्रकार, ओ.एन.जी.सी. पर दबाव डाला गया कि वह घाटे में चल रही कंपनी, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण करे, जिसने पेट्रोलियम का कोई उत्पादन ही नहीं किया। ओ.एन.जी.सी. को अपने लाभदायक तेल क्षेत्रों को निजी कंपनियों को सौंपने के लिए मजबूर किया गया है। ओ.एन.जी.सी. को अपने समुद्रीय तेल क्षेत्रों का 60 प्रतिशत हिस्सा विदेशी कंपनियों को सौंपना पड़ा है। 2018 में सरकार ने लाभ कमाने वाली बी.पी.सी.एल. को, जिसका वास्तविक मूल्य 9 लाख करोड़ रुपये था, उसको 50–60 हजार करोड़ रुपये के औने–पौने दाम पर बेचने का फ़ैसला किया था।

हाल ही में, सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एन.एम.पी.) की घोषणा की है। इसके तहत सरकार ने तेल कंपनियों की ढांचागत संपत्तियों को निजी कंपनियों को सौंपने का फैसला लिया है। इसमें लगभग 8154 किलोमीटर गैस पाइपलाइन, 3196 किलोमीटर उत्पाद पाइपलाइन, दो हाइड्रोजन संयंत्र, एल.पी.जी. पाइपलाइन और अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं।

पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र के मज़दूर ठीक ही समझ रहे हैं कि हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपति अहम ऊर्जा क्षेत्र – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला और बिजली – पर अपना नियंत्रण और वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। हिन्दोस्तानी राज्य इन इजारेदार पूंजीपतियों के लालच को पूरा करने का काम कर रहा है।

आधुनिक समाज में कामकाज के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस या बिजली के रूप में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह एक सामाजिक आवश्यकता को पूरा करता है। इसे इजारेदार पूंजीपतियों की अमिट लालच को पूरा करने के स्रोत में बदलने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए।

ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण का विरोध करने के लिए हड़ताल की कार्रवाई में बिजली और कोयला मज़दूरों के साथ, हाथ मिलाने का पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र के मज़दूरों का निर्णय पूरे समाज के समर्थन का हकदार है।

पिछले कुछ दशकों में सरकारों ने लगातार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में नियमित मज़दूरों के स्थान पर ठेका मज़दूरों को काम पर रखा है। आज, इस क्षेत्र में काम करने वाले लगभग आधे मज़दूर ठेके पर काम कर रहे हैं। नियमित मज़दूर यह महसूस कर रहे हैं कि मज़दूरों के एक बड़े हिस्से को उनके अधिकारों से वंचित करके, पूंजीपति वर्ग सभी मज़दूरों के वेतनों को कम कर रहा है। काम करने की स्थिति को ख़राब कर रहा है, और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उनके एकजुट संघर्ष को कमज़ोर कर रहा है। पेट्रोलियम और गैस मज़दूरों की यूनियनों ने अपने क्षेत्र में ठेका मज़दूरों के अधिकारों की हिफ़ाज़त के लिए संघर्ष को तेज़ करने का फ़ैसला किया है।

पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र के मज़दूरों का निजीकरण के ख़िलाफ़ और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष, शासक पूंजीपति वर्ग के मज़दूर–विरोधी, किसान–विरोधी, समाज–विरोधी कार्यक्रम के ख़िलाफ़ मज़दूरों और किसानों के संघर्ष का अभिन्न अंग हैं। निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष को अंत तक ले जाने की जरूरत है। इसके लिये इस संघर्ष को पूंजीपति वर्ग के राज के बदले, मज़दूरों–किसानों के राज को स्थापित करने की दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। मज़दूर वर्ग अपने हाथों में राजनीतिक सत्ता लेकर, पूंजीवादी लालच के बजाय, सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिलाने में सक्षम होगा।

http://hindi.cgpi.org/22987

सोवियत संघ के गठन की शताब्दी पर ...

पृष्ठ 2 का शेष

जाता है। राष्ट्रीय आंदोलनों को "कानून और व्यवस्था" की समस्या माना जाता है और उनका क्रूर दमन किया जाता है।

सरमायदार अन्य वर्गों और उत्पीड़ित राष्ट्रों व लोगों के अधिकारों को कुचलकर अपनी राज्य सत्ता को क़ायम करते हैं। वे उत्पीड़ित राष्ट्रों व लोगों की भूमि पर कब्ज़ा करते हैं और उसे लूटते हैं। इसके बिलकुल विपरीत, श्रमजीवी वर्ग हरेक घटक राष्ट्र और राष्ट्रीयता के लोगों के स्वयं अपना भविष्य निर्धारित करने के अधिकार की रक्षा करते हुये, समाजवाद का निर्माण करने की अपनी परियोजना को लागू करता है। सोवियत संघ में विकास का दिशा–निर्देश करने वाले श्रमजीवी वर्ग और उसकी पार्टी ने इसे बढ़िया तरीके से प्रदर्शित किया था।

सोवियत संघ का गठन आज भी एक बहुराष्ट्रीय राज्य की अद्भुत मिसाल है, जो अपने सभी घटकों के लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके पारस्परिक हितों के लिए काम करता है। हमारे देश में कई राष्ट्र, राष्ट्रीयता और लोग बसे हुये हैं। हमारे लिये सोवियत संघ के अनुभव से सीखने के लिये अनेक अनमोल सबक हैं।

सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि वर्तमान उपनिवेशवादी शैली पर आधारित हिन्दोस्तानी संघ के स्थान पर एक स्वैच्छिक संघ का निर्माण करना ही एकमात्र तरीका है, जिसके ज़रिये देश के राष्ट्रीय प्रश्न को हल किया जा सकता है और समाज को संकट से बाहर निकाला जा सकता है। हम हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों को गणराज्यों के एक स्वैच्छिक संघ के ज़रिये, मज़दूरों और किसानों की हकूमत स्थापित करने के नज़रिये के साथ वर्ग संघर्ष करना होगा।

http://hindi.cgpi.org/22962

पाठकों की प्रतिक्रिया

बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 30वीं बरसी पर ज्ञानवर्धक लेख

संपादक महोदय,

मैं आपका आभारी हूं कि आपने पिछले अंक में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 30वीं बरसी पर एक बहुत ही ज्ञानवर्धक लेख छापा। इस लेख में, जिसका शीर्षक था, "सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ और ज़मीर के अधिकार की हिफ़ाज़त के लिये अपनी राजनीतिक एकता को और मजबूत करें", एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदू है जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं।

यह बिंदू इस प्रश्न से जुड़ा है कि हिन्दोस्तान में सांप्रदायिक हिंसा की जड़ क्या है? क्यों सांप्रदायिक हिंसा और क़त्लेआम बार–बार किये जाते हैं? इसका जबाव आपके लेख के निम्नलिखित पैरा में पाया जा सकता है और मैं इसको यहां दोहराता हूं।

"हमारा संविधान हिन्दोस्तानी लोगों को एक बहुसंख्यक और कई अल्पसंख्यक मज़हबी समुदायों में बांटता है। यह लोगों की राष्ट्रीय, वर्गीय और मानवीय पहचानों को दरकिनार करते हुए, सिर्फ सांप्रदायिक पहचान पर ज़ोर डालता है।"

इसका मतलब है कि देश का मौलिक क़ानून ही सभी हिन्दोस्तानियों को एक समान नहीं मानता है। यह लोगों को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक धार्मिक समुदायों में बांटता है। इसके आधार पर देश में क़ानून बनाये जाते हैं जो लोगों की धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर भेदभाव करते हैं। फिर यह आसान हो जाता है कि अलग–अलग सरमायदारी पार्टियां एक नहीं तो दूसरे समुदाय की तरफदारी की बात करके लोगों में फूट डालती हैं। कोई सरमायदारी पार्टी इस जाति के लिये आरक्षण मांगती है तो दूसरी किसी धर्म के लोगों को दुश्मन के जैसे पेश करती है। इस तरह वे लोगों के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं ताकि शोषण और दमन पर आधारित इस व्यवस्था के ख़िलाफ मेहनतकश लोग एकजुट न हो सकें।

जबकि 75 साल पहले हमने अंग्रेजों के राज से स्वतंत्रता पायी थी, परन्तु इतने सालों के बाद भी हम अंग्रेजों की "फूट डालो और राज करो" की नीति वाले शासन के तरीक़े से आज़ाद नहीं हुए हैं। इसका कारण है कि देश के शासक वर्ग ने उपनिवेशवादी शासन से नाता नहीं तोड़ा। उपनिवेशवादियों ने सत्ता की बागडोर हिन्दोस्तानी सरमायदारों के हाथों में सौंपी थी और बहुत धूर्तता से पूरी की पूरी उपनिवेशवादी विरासत को जारी रखा। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद भी कुछ सतही बदलाव के साथ सभी उपनिवेशी क़ानून और संस्थाएं जारी हैं और आज़ाद हिन्दोस्तान के संविधान का अधिकांश हिस्सा उपनिवेशी संविधान (गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935) की नक़ल है।

इसी सच्चाई से मेल खाते हुए, आपके लेख में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि "हरेक इंसान के ज़मीर के अधिकार का आदर और हिफाज़त करना राज्य का फ़र्ज़ है। अगर इसे स्वीकार कर लिया जाये तो किसी भी मज़हब के बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक होने का सवाल ही नहीं उठता है।"

अंत में आपका आह्वान कि "हमें इस असूल के आधार पर एकजुट होना चाहिए, कि हर इंसान के अधिकारों की हिफ़ाज़त करना राज्य का फ़र्ज़ है, भले ही उसकी आस्था कुछ भी हो। जब राज्य लोगों के अधिकारों की हिफ़ाज़त करने में नाकामयाब होता है, तो राज्य प्रशासन की कमान संभालने वालों को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सबसे कड़ी सज़ा उनको होनी चाहिए जो राज्य सत्ता का इस्तेमाल करके, लोगों के ख़िलाफ अपराध आयोजित करते हैं।" यह हमें आगे के संघर्ष की दिशा देता है।

भवदीय, समीर

मज़दूर एकता लहर के लेखों को सुनिये

चुनिंदा लेखों को सुनने के लिये हिन्दी वेबसाइट (www.hindi.cgpi.org) पर जायें और ड्रॉपडाऊन मेनू या साइडबार में "लेखों को सुनें" पर क्लिक करें।

काम की जगह पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की हालतों पर ...

पृष्ठ 1 का शेष

या प्रमुख कारण केवल काम करने की परिस्थितियां ही नहीं हैं। बल्कि मौतों के अन्य कारण भी हैं, जैसे कारखानों और खदानों में काम की भयानक स्थिति, जिसकी वजह से मज़दूरों को कैंसर और फेफड़ों की बीमारी या कई अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उनके स्वास्थ्य पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है और उनकी जल्दी मौत हो जाती है। सरकार काम की जगह पर हुई बीमारियों के कारण मरने वालों की संख्या का रिकॉर्ड नहीं रखती।

बिरजू नायक ने बताया कि ओ.एस.एच. संहिता मज़दूरों के सबसे कमज़ोर तबकों की चिंताओं की पूरी तरह से अनदेखी करती है। यह केवल उन उद्यमों पर लागू होता है जिनके यहां हाजिरी रजिस्टर में 10 से अधिक मज़दूर पंजीकृत दिखाये जाते हैं। इसलिए कृषि मज़दूरों सहित देश के 90 प्रतिशत मज़दूरों को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया है, क्योंकि वे सब श्रम संहिता के दायरे में नहीं आते। इसी तरह, यह संहिता आईटी मज़दूरों सहित उन मज़दूरों पर भी लागू नहीं होती, जिनको अलग–अलग पदनामों से रखा जाता है जैसे कि "प्रबंधक", "पर्यवेक्षक" आदि। 'ओवरटाइम' के नाम पर प्रति सप्ताह काम के घंटे बढ़ाकर और महिलाओं से रात की पाली में काम करवाने को वैधता देकर, संहिता द्वारा मज़दूरों के अधिकारों और सुरक्षा पर एक और हमला किया गया है।

बिरजू नायक ने बताया कि देश के मज़दूरों का विशाल हिस्सा जिन भयानक परिस्थितियों में रोज़ी–रोटी कमाने को मजबूर है, उनके लिये हमारे देश की आदमखोर पूंजीवादी व्यवस्था तथा शोषण की इस व्यवस्था की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध राज्य पूरी तरह से ज़िम्मेदार है। पूंजीपति वर्ग मज़दूरों के लिए काम करने की सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित करने से इसलिये इनकार करता है, क्योंकि इस कदम की वजह से ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़े बनाने की उसकी होड़ को नुक़सान पहुंचता है। सभी सरकारों ने पूंजीपतियों की इस होड़ का बचाव किया है, वर्तमान सरकार भी अछूती नहीं है। अंत में उन्होंने निष्कर्ष के रूप में कहा कि हमें एकजुट होकर, ऐसे क़ानूनों की मांग के लिये संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा, जो हर मज़दूर के लिए स्वास्थ्य और काम करने की सुरक्षित स्थिति की गारंटी देगा।

श्री कांता राजू ने भारतीय रेल के लगभग 4 लाख ट्रैक मैन्टेनरों के काम की बेहद ख़तरनाक परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताया। ट्रैकमैनों की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किये गए हैं। लगभग 300–400 ट्रैकमैन हर साल ड्यूटी के दौरान मारे जाते हैं। उचित मुआवज़ा पाने की प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल है कि पीड़ित परिवारों की परेशानी और भी बढ़ जाती है।

ट्रैकमैन पर अत्यधिक काम का बोझ है। वे 12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं, लेकिन उन्हें ओवरटाइम का पैसा भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि ट्रैकमैन के क़रीब एक लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार और रेलवे बोर्ड पदों को भरने से इनकार कर रहा है। ट्रैकमैनों की मांग है कि ट्रैकमैन की सुरक्षा के लिए ट्रैक पर आने–जाने वाली ट्रेनों पर नज़र रखने के लिए, रेलवे बोर्ड द्वारा सुरक्षा उपकरणों को लगाया जाए। जबकि रेलवे ने इस मांग को कोई महत्व नहीं दिया है। ट्रैकमैन को अंधेरे में अपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में काम करना पड़ता है, जो कि स्पष्ट रूप से बेहद ख़तरनाक है। समपार फाटकों पर काम करने वाले ट्रैकमैनों के पास आराम करने के लिए न तो कोई कमरा है, न पीने का पानी और न ही शौचालय। यह सब स्पष्ट दिखाता है कि मज़दूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति हिन्दोस्तान की सरकार का रवैया कितना संवेदनहीन है।

श्री कांता राजू ने चार श्रम संहिताओं के बारे में विस्तार से समझाया कि ये श्रम संहितायें उन सभी अधिकारों पर सीधा हमला हैं, जिन्हें मज़दूरों ने अपने कड़े संघर्ष से जीता है। अपनी पसंद की यूनियन बनाने के अधिकार पर सीधा हमला हो रहा है। उन्होंने अपने स्वयं के अनुभव से उदाहरण दिया कि कैसे रेलवे बोर्ड ने ट्रैक मेंटेनरों की यूनियन की मान्यता यह कहकर रोक दी कि श्रम संहिता के नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है! उन्होंने कहा कि पूंजीपति मज़दूरों के सभी अधिकारों को कुचलना चाहते हैं, ताकि वे अपने मुनाफ़े को अधिकतम कर सकें और सरकार उनके हित में काम कर रही है। उन्होंने 4 श्रम संहिताओं को लागू होने से रोकने के संघर्ष को तेज़ करने के ट्रैकमैनों के दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया।

श्री संजय पांधी ने बताया कि कारखानों, खदानों, डॉक्स, निर्माण स्थलों, पत्रकारों, आदि के सुरक्षा से संबंधित 13 श्रम क़ानूनों के साथ–साथ अनुबंध मज़दूरों और प्रवासी मज़दूरों से संबंधित क़ानूनों को समाहित करके, ओ.एस.एच. संहिता तैयार की गई है। इनमें, रेलवे मज़दूरों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं, चोटों और ख़तरों की विशिष्ट हालतें शामिल नहीं हैं। रेलवे में काम की परिस्थितियों की वजह से होने वाले रोगों – अनिद्रा, पीठ दर्द, मधुमेह, यादाश्त में कमी, आदि को शामिल नहीं किया है। उन्होंने बताया कि ट्रेड यूनियन बनाने के मज़दूरों के अधिकार पर हमला हो रहा है। इस ओ.एस.एच. संहिता द्वारा काम की सुरक्षित परिस्थितियों के अधिकार का खुलेआम हनन किया जा रहा है। इस संहिता के अनुसार, केवल 500 से अधिक मज़दूरों को रोज़गार देने वाले उद्यमों में ही सुरक्षा समिति बनाना अनिवार्य शर्त होगी। इसमें छोटे उद्यमों के अधिकांश मज़दूरों सहित ठेका मज़दूरों को शामिल नहीं किया गया है।

श्री संजय पांधी ने संहिता के उन कई प्रावधानों के बारे में बताया, जो मालिकों को ओवरटाइम का समय बढ़ाने और मज़दूरों का शोषण और बढ़ाने की अनुमति देते हैं। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि काम की जगहों के साथ–साथ सड़कों पर आकर, इन श्रम संहिताओं के ख़िलाफ़ सभी मज़दूरों के एकजुट संघर्ष को तेज़ करना होगा।

श्री सुभाष भटनागर ने निर्माण क्षेत्र से जुड़े मज़दूरों के लिए, एक व्यापक क़ानून बनवाने के अपने 25 से अधिक वर्षों के संघर्ष के बारे में बताया, उस लंबे संघर्ष के बाद ही 'भवन और अन्य निर्माण मज़दूर अधिनियम' (बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) को मंज़ूरी मिली। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप, आज पूरे देश में 5 करोड़ से अधिक निर्माण मज़दूर पंजीकृत हैं और उनकी तात्कालिक और दीर्घकालिक ज़रूरतों के लिए 80,000 करोड़ रुपये से अधिक का कोष बनाया गया है। श्री भटनागर ने उन विभिन्न तरीकों के बारे में बताया, जिनके ज़रिये अधिकारी इस कोष का दुरुपयोग कर रहे थे और मज़दूरों को नुक़सान भुगतना पड़ता था।

श्री भटनागर ने समझाया कि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम को निरस्त करके, अब इसे ओ.एस.एच. संहिता के साथ जोड़ दिया गया है। जिसके लागू होने से निर्माण क्षेत्र के मज़दूरों को अपने कई अधिकारों से वंचित होने की संभावना है। इसलिए, निर्माण क्षेत्र के मज़दूर बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम को पुनः लागू करने की मांग कर रहे हैं। श्री भटनागर ने कहा कि अन्य सभी ट्रेड यूनियनों और श्रमिक संगठनों के साथ, निर्माण मज़दूर भी चार श्रम संहिताओं का विरोध कर रहे हैं।

डॉ. स्वाति राणे ने नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बारे में बात रखी। उन्होंने सभी लोगों को सस्ती क़ीमत, परन्तु अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा न करने के लिए सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बर्बाद कर रही है और स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण पर अधिक से अधिक ज़ोर दे रही है। उन्होंने बताया कि सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है, जो मज़दूरों की बीमारी, बेबसी और दुख से भी भारी मुनाफा कमाना चाहते हैं। आज मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, आदि काम से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, जिनसे बहुत से लोग परेशान हैं। इसके अलावा, मज़दूरों को स्वच्छ और साफ रहने की स्थिति, पीने का साफ पानी, पौष्टिक भोजन और स्वच्छ वातावरण तक नसीब नहीं है। एक आम मज़दूर, अपने वेतन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करता है क्योंकि उसे और उसके परिवार के सदस्यों को निजी डॉक्टरों के पास या निजी अस्पतालों में इलाज के लिए मजबूर होना पड़ता है।

डॉ. राणे ने कहा कि सरकार ई.एस.आई.सी. अस्पतालों को बंद करने और मज़दूरों को निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर करने की कोशिश कर रही है। कोविड महामारी ने दिखाया कि केवल सरकारी अस्पतालों ने बहुत कम और बहुत ही अपर्याप्त स्टाफ के बावजूद, लोगों की सेवा की। जबकि निजी अस्पतालों ने मरीजों का इलाज करने से इंकार कर दिया या उन्हें भगा दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों का अत्यधिक शोषण होता है और निजी अस्पतालों में तो और भी ज्यादा। नर्सों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिलता, कपड़े बदलने के लिए या रात की ड्यूटी के दौरान आराम करने के लिये उचित कमरे नहीं होते और उचित सुरक्षा किट के बिना ही उन्हें ख़तरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में भी ड्यूटी के लिए ठेका कर्मचारियों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की। उन्होंने और अधिक सरकारी अस्पतालों को बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी बतौर नियुक्त किया जाना चाहिये। उन्हें उचित प्रशिक्षण, पर्याप्त वेतन और काम की सुरक्षित परिस्थितियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

स्वाति राणे ने लोगों के ऐसे मंचों की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा, जो अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवा के लिए और मज़दूरों के अधिकारों के लिए लड़ सकें। उन्होंने सभी से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य क्षेत्रों के मज़दूरों के काम की परिस्थितियों के बारे में लोगों में जागरुकता फैलाने और उचित स्वास्थ्य सेवा व काम करने की सुरक्षित स्थिति की मांग करने के लिए संघर्ष करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर, मज़दूरों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम करने की बेहतर स्थिति की मांग करनी चाहिए।

तमिलनाडु की गीता रामकृष्णन ने निर्माण मज़दूरों की हालतों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि काम पर सुरक्षा से संबंधित बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा को ओ.एस.एच. संहिता में से पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसलिए निर्माण मज़दूरों की तत्काल मांग है कि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की बहाली हो।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) के अंतर्गत निर्माण मज़दूर नहीं आते, क्योंकि वे एक ही मालिक के लिए काम नहीं करते। उन्होंने समझाया कि अधिकांश निर्माण कार्य अनुबंध या उप–अनुबंध पर होते हैं।

उन्होंने निर्माण मज़दूरों सहित सभी मज़दूरों और असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों जैसे कि कृषि मज़दूरों, घरेलू मज़दूरों, घरों से काम करने वाले मज़दूरों और बीड़ी मज़दूरों, आदि के लिए ई.एस.आई.सी. के तहत सर्वव्यापी तौर पर शामिल करने की मांग उठाई।

प्रवासी मज़दूरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले फादर बॉस्को ने देश के कई अलग–अलग राज्यों से तमिलनाडु में काम करने आये प्रवासी मज़दूरों की समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इनमें से अधिकांश मज़दूर ठेके पर काम करते हैं और ठेका मज़दूरी बढ़ रही है। ठेका मज़दूरी करवाने में राज्य प्रशासन के कई विभाग शामिल हैं। मालिक काम की जगह पर ठेका मज़दूरों के लिए किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करे यह सुनिश्चित करने के लिए कोई क़ानून नहीं है। मज़दूरों ने आज तक संघर्ष से जो भी जीत हासिल की है, उन्हें श्रम संहिताओं के तहत नकार दिया गया है। पानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य – इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं और अधिकारों से ठेका मज़दूरों और प्रवासी मज़दूरों को वंचित रखा जाता है। वे शौचालय के बिना, पीने के पानी और भोजन की उचित व्यवस्था के बिना और भयानक परिस्थितियों में रहने तथा काम करने को मजबूर हैं। उन्होंने सभी श्रमिक संगठनों को एकजुट होने और श्रम संहिताओं को रद्द करवाने के लिए संघर्ष करने तथा राज्य द्वारा सभी मज़दूरों के लिए सुरक्षित और काम करने की उचित स्थिति की गारंटी देने का आह्वान किया।

तमिलनाडु के वर्कर्स सपोर्ट ग्रुप के श्री कृष्णमूर्ति ने तिरुपुर के कपड़ा व वस्त्र बनाने वाले मज़दूरों की स्थितियों को अपनी बातों से उजागर किया। तमिलनाडु में कताई मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं। इनमें मज़दूरी करने वाली देश के विभिन्न राज्यों आई युवतियां हैं, जो अनुबंध पर काम कर रही हैं तथा इनके पास नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। उन्हें उचित भोजन, पीने का पानी या शौचालय के बिना ही हास्टलों में या मिलों के भीतर, बहुत ही दयनीय स्थिति में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। कपड़ा मिलों में काम करने वाले मज़दूरों को लगातार रूई से निकलने वाले गर्द और शोर में काम करना पड़ता है। ये उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उन्हें सुरक्षा उपकरण नहीं

शेष पृष्ठ 8 पर

मज़दूर एकता लहर
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23
LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23
Posting Date at DLPSO, 16 & 17 Jan, 2023, Date of publish - 16 Jan, 2023

To ....
....
....
....
....
....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

घरों से बेदख़ल किये जाने के ख़िलाफ़ हल्द्वानी के लोगों का विशाल विरोध प्रदर्शन

उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने घरों से जबरन बेदख़ल करने की धमकी के ख़िलाफ़ लोगों का अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन हल्द्वानी में चल रहा है। 20 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि बनभूलपुरा में 78 एकड़ भूमि, जिसके लिये रेलवे द्वारा दावा किया गया था, से हजारों परिवारों को बेदख़ल करने के लिए बल प्रयोग किया जाये। इस आदेश के बाद यह विरोध शुरू हुआ। अदालत ने राज्य से कहा कि वह लोगों को उनके घरों से बेदख़ल करने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करे। इसके बाद, उत्तराखंड सरकार ने सिर्फ 7 दिनों का समय देते हुए, 1 जनवरी, 2023 को बेदख़ली का एक नोटिस जारी कर दिया, जिसमें लोगों को अपना सामान हटाने और अपने घरों को खाली करके छोड़ देने के लिए कहा गया था।

लोगों ने अपने घरों को छोड़ने से इनकार कर दिया। कड़ाके की ठंड में पचास हजार महिला, पुरुष और बच्चे अपने घरों पर अपना हक़ जताते हुए, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस संघर्ष के मद्देनज़र सर्वोच्च अदालत ने लोगों को बेदख़ल करने के उच्च अदालत के आदेश पर, 5 जनवरी को रोक लगाने का फ़ैसला सुनाया।

रेलवे ने दावा किया है कि बनभूलपुरा की यह ज़मीन उसकी है, लेकिन इस ज़मीन पर भारतीय रेल का मालिकाना हक़ है, इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। बेदख़ली के ख़तरे का सामना करने वाले बहुत से लोग इस बस्ती में 5 दशकों से भी अधिक समय से रह रहे हैं। लोगों के पास ऐसे दस्तावेज़ हैं, जो साबित करते हैं कि वे 1947 से इस क्षेत्र में संपत्ति के मालिक हैं। फिर भी हिन्दोस्तानी राज्य और रेलवे, लोगों को अपनी बस्ती से बेदख़ल करने के लिए क्यों ज़ोर दे रहे हैं?

भारतीय रेल का निजीकरण भी हिन्दोस्तानी राज्य के उस अभियान में निहित है, इसका सबसे हाल का उदाहरण है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। सरकार ने अन्य चीज़ों के साथ–साथ रेलवे के 200 स्टेशनों का विकास करने और उनके रखरखाव के लिए पूंजीपतियों को सौंपने के अपने फ़ैसले की घोषणा की है। भारतीय रेल ने पूरे देश में अपनी मालिकी वाली प्रमुख भूमि के बारे में फ़ैसले लेने के लिए एक 'रेल भूमि विकास प्राधिकरण' की स्थापना की है।

उत्तर पूर्व रेलवे का काठगोदाम स्टेशन, जो कि हल्द्वानी में है, यह उन निर्धारित स्टेशनों में से एक है जिसे विकास और रखरखाव के लिए सरकार ने पूंजीपतियों को सौंपने का फ़ैसला किया है। यह उत्तराखंड को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले प्रमुख स्टेशनों में से एक है। बनभूलपुरा बस्ती काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास है। इस बात की पूरी संभावना है कि उत्तराखंड सरकार और पूर्वोत्तर रेलवे, इस क्षेत्र में कई दशकों से रह रहे लोगों को इसलिये बेदख़ल कर रहे हैं, क्योंकि इस ज़मीन की मांग उन निजी पूंजीपतियों ने की हो, जिन्हें काठगोदाम रेलवे स्टेशन और उसके आसपास की ज़मीनें सौंपी जा रही हैं।

हिन्दोस्तानी राज्य के क़ानून किसी न किसी बहाने से लोगों की ज़मीन को हड़पने और फिर उस ज़मीन को बड़े पूंजीपतियों को सौंपने में सक्षम हैं। पूरे देश में लोगों का यह अनुभव है कि ज़मीन को हड़पने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए राज्य द्वारा पूरी कालोनियों को गिरा दिया जाता है, जिनमें दशकों से लोग रह रहे हैं। पीड़ितों को लोगों का समर्थन न मिले, इसलिये राज्य लगातार यह प्रचार करता है कि जिनके घर गिराए जा रहे हैं वे "अवैध" रूप से रह रहे हैं।

अपने घरों से बेदख़ली के ख़िलाफ़ हल्द्वानी के लोगों का संघर्ष, देशभर के लाखों मेहनतकशों के उसी संघर्ष का हिस्सा है, जिसने सिर पर विध्वंस की तलवार लटक रही है। विभिन्न शहरों में मेट्रो लाइनों के पास रहने वाले, रेलवे स्टेशनों के पास रहने वाले और रेलवे लाइनों के पास रहने वाले लोगों को विध्वंस का सामना करना पड़ता है। पूंजीपतियों को रेलवे स्टेशनों और अन्य संपत्तियों को बेचने के हिन्दोस्तानी राज्य के अभियान का डटकर विरोध करने की ज़रूरत है।

http://hindi.cgpi.org/22989

मज़दूर एकता कमेटी की मीटिंग ...

पृष्ठ 7 का शेष

दिए जाते। वे बंधुआ मज़दूर की तरह काम करती हैं। अधिकांश मज़दूरों को ई.एस.आई. सी. की सुविधायें नहीं मिलती। बीमारी से ठीक होने के लिये, दुर्घटनाओं के लिये, ली गई छुट्टी या अन्य किसी छुट्टी के लिए कोई मुआवज़ा नहीं दिया जाता। कृष्णमूर्ति ने कहा कि ओ.एस.एच. संहिता, मज़दूरों के मूल अधिकारों पर खुल्लम–खुल्ला हमला है। उन्होंने सभी मज़दूर संगठनों से श्रम संहिताओं को रद्द करवाने के लिए एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया।

कामगार एकता कमेटी के जी. भावे ने बताया कि रेलवे इंजन चालकों और ट्रेकमैनों के काम के घंटे बढ़ाये जा रहे हैं। यह न केवल उनके काम को और ख़तरनाक बना रहा है बल्कि उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है और यात्रियों के लिए भी जोखिम बढ़ा रहा है।

यूके के इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन के दलविंदर ने बताया कि सभी सरकारें लोगों से वादे करती हैं, लेकिन पूंजीपति वर्ग के एजेंडे को ही लागू करती हैं। लोगों को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है ताकि वे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहरा सकें, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने और बहस करने की ज़रूरत है।

वक्ताओं ने मज़दूर एकता कमेटी को मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया, जहां विभिन्न क्षेत्रों के मज़दूर अपनी समस्याओं के बारे में अन्य क्षेत्रों के मज़दूरों से बात कर सकते हैं, जिससे मज़दूर वर्ग की एकता मजबूत हो सके।

सभी इस बात पर एकमत थे कि चार श्रम संहिताओं का उद्देश्य मज़दूरों के शोषण को तेज़ करना है। ओ.एस.एच. संहिता काम की जगह पर मज़दूरों की असुरक्षा बढ़ा रहा है और वर्षों के संघर्ष से जीते गए अधिकारों से मज़दूरों को वंचित कर रहा है। मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए, इन श्रम संहिताओं के ख़िलाफ़ एकजुट संघर्ष को तेज़ करने की आवश्यकता है।

मज़दूर वर्ग के लिए आगे का रास्ता है पूंजीपति वर्ग ख़िलाफ़ और हमारे अधिकारों पर हो रहे सभी हमलों के ख़िलाफ़ अपनी एकता को और मजबूत करना। हमें उदारीकरण और निजीकरण के ज़रिये वैश्वीकरण के कार्यक्रम के ख़िलाफ़ मज़दूरों–किसानों की एकता को मजबूत करना होगा। हमें मज़दूरों और किसानों के राज की स्थापना के उद्देश्य से अपने संघर्ष को तेज़ करने की ज़रूरत है, ताकि पूंजीवादी लालच को पूरा करने की बजाय मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी जा सके।

http://hindi.cgpi.org/22973

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्कैन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626,
ब्रांच नं.–00974, IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.–9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com